अनुसूची १४—फारम सं0—४६२

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक — ता0........................ से........................ तक

जिला........................, सं0........................, सन् १६........................

केस का प्रकार........................

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित ३
	न्यायालय, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा ऑगनबाड़ी अपील वाद संख्या 107—54/2011—13 द्रोपदी कुमारी ———————————अपीलार्थी वनाम राज्य ———————————————रेस्पोण्डेन्टस **—: आदेश :—** प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपीलवाद अपीलार्थी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के वाद संख्या 59/2011—12 में पारित चयनमुक्त आदेश ज्ञापांक 1168—1 आई.सी.डी.एस., सहरसा ,दिनांक 30.09.2011 के विरूद्ध यह अपीलवाद इस न्यायालय में दायर किया गया है । प्रस्तुत अपीलवाद बाल विकास परियोजना सौरबाजार अन्तर्गत पंचायत—सहुरिया पश्चिम, ऑगनबाड़ी केन्द्र—धमसैना पूर्वी टोला, केन्द्र संख्या—67 से संबंधित है । वाद पुकारा गया । उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजातों का सुक्ष्म अवलोकन किया गया। अपलीवाद के सुनवाई के क्रम में अपीलर्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि द्रोपदी कुमारी का चयन सेविका के पद पर केन्द्र धमसेना पूर्वी टोला केन्द्र संख्या—67 पंचायत— सहुरिया पश्चिमी अन्दर बाल विकास परियोजना प्रखण्ड सौरबाजार जिला, सहरसा में वर्ष 2006 में आम सभा के द्वारा चयनित किया गया । चयन पत्र पंचायत सचिव एवं अध्यक्ष (मुखिया) के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया गया तदोपरांत प्रशिक्षण प्राप्त कर अपीलार्थी अपना योगदान समर्पित कर चयनमुक्ति आदेश के पूर्व तक अपने कार्यों एवं	

कर्त्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन किया है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता कथन करते हैं कि आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा गठित जॉच दल के द्वारा सौरबाजार परियोजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत सहुरिया पश्चिम के ऑगनबाड़ी केन्द्र की जॉच नहीं की गयी तथा केन्द्र पर निरीक्षी पदाधिकारी नहीं पहुँचे एवं निरीक्षण पंजी पर कुछ भी नहीं लिखे जबकि अपीलकर्त्ता निरीक्षण तिथि 05.05.2011 को अपने सहायिका के साथ केन्द्र पर उपस्थित थी । अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि निरीक्षण दल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया हैं कि आस–पास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस केन्द्र का भी हाल वही है जो अन्य केन्द्रों का है, परन्तु जॉच प्रतिवेदन में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है किन–किन लोगों के द्वारा शिकायत की गयी और किन–किन शिकायतकर्त्ता का बयान लिया गया। आगे यह भी कथन करते हैं कि समर्पित प्रतिवेदन में बिना केन्द्र पर गये जॉच पदाधिकारी द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में यह उल्लेख करना कि केन्द्र संख्या –67 भी अन्य केन्द्र जैसा है यह उचित प्रतीत नहीं होता है । उक्त जॉच प्रतिवेदन ऑगनबाड़ी सेविका के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 902–1 दिनांक 25.08.11 द्वारा अपीलार्थी को स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं दिनांक 29.08.2011 के पूर्वाहन् में उनके कार्यालय वेश्म में सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया तथा दिनांक 29.08.2011 को सुनवाई की गयी । ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । अपीलार्थी के स्पष्टीकरण के तथ्यों पर विचार नहीं कर निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए चयनमुक्त किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है ।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में ऑगनबाड़ी अपील वाद सं0 108/1142 में समान आरोप पर विज्ञ जिलाधिकारी, सहरसा के द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए कथन करते हैं कि जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा समान आरोपी अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया गया है ।

राज्य की ओर से सरकारी विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना। सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा राज्य के समर्थन में बहस किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म परिशीलोनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅची कि जब उक्त जॉच प्रतिवेदन में अंकित दूसरे केन्द्र के सेविका/सहायिका पर लगाए गए समान आरोप पर विज्ञ जिला पदाधिकारी द्वारा आरोपी को आरोपमुक्त किया गया है । वर्णित स्थिति में समान आरोपी को जिलाधिकारी द्वारा आरोप मुक्त किए जाने के बाद अपीलार्थी आरोपी को दंडित किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध होगा । अस्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को स्वीकृत किया जाता है । इसी के साथ अपीलवाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।

क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी,
कोशी प्रमण्डल,
सहरसा।